राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 168 जुलाई 2013 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हाल ही में एक प्रसिद्ध टीवी चैनल और समाचारपत्र 'दि हिंदु' द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 18 राज्यों में 50 प्रतिशत वोटर चाहते हैं कि 2014 में निर्वाचित होने वाली अगली संसद में एक-तिहाई महिला संसद सदस्य होनी चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन सभी महिलाओं, क्षेत्रीय और राज्य डिवीजनों ने किया है।

दुर्भाग्य से यह विधेयक, जिसमें भारत की राजनीतिक वास्तविकता को बदलने की क्षमता है और जो महिलाओं को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाता है, संसद में सबसे पहले रखने के बाद पिछले 14 वर्षों से लटका पड़ा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विषय पर अनेक परामर्श किए हैं और संसद सदस्यों से भी मुलाकातें की हैं, अधिकांश संसद सदस्य विधेयक का बोलकर समर्थन करते हैं, फिर भी विधेयक पारित नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इस विधेयक का प्रबल विरोध करती हैं। ये पार्टियां अपने संघटकों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और दलित को महिलाओं के 33 प्रतिशत कोटे में और कोटा देना चाहते हैं

चर्चा में **महिला आरक्षण विधेयक**

जिससे हाशिए में पड़े इन समूहों को संसद में प्रतिनिधित्व दिया जा सके। यदि यह चिन्ता वास्तविक है तो पार्टियों को अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और दलित महिला उम्मीदवारों को अधिक संख्या में नामित करना चाहिए। वास्तव में यह हमारे राजनीतिक वर्ग की पुरुष प्रधान सोच है जो संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए अधिक स्थान नहीं बनाना चाहते हैं। हालांकि यह खुले तौर पर कोई नहीं कहता है। विधेयक के विरोध का दूसरा कारण यह है कि सांसदों को भय है कि एक बार विधेयक कानून बन जाता है तो उनकी संख्या एकदम कम हो जाएगी।

तथापि, जैसा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, सरकार के पास मानसून सत्र के दौरान विधेयक को पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या है। आगामी चुनाव के पूर्व विधेयक को पारित करने के लिए सरकार को अंतिम प्रयास करना चाहिए और हाल में हुए सर्वेक्षण में मतदाताओं के मत को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि आप जानते हैं, विधेयक को पारित करना सत्तारूढ़ दल के लिए हितकारी हो सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हस्तक्षेप

इस घटना को 'महिलाओं की निजता का स्तब्धकारी उल्लंघन' बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली मेट्रो के कुछ यात्रियों द्वारा अश्लील विवरण वाले वेबसाईट में सीसीटीवी के चित्र अपलोड करने के समाचार को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने कहा, 'यह घटना दिल्ली मेट्रो रेल निगम और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से हुई गंभीर सुरक्षा चूक को बताती है और यह यात्रियों की निजता का घोर उल्लंघन है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम से दो सप्ताह के अन्दर की गई कार्यवाही रिपोर्ट देने के लिए कहा है जिसमें यह बताया जाए कि यह चूक कैसे हुई और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है कि ऐसी घटना दोबारा न हो।' राष्ट्रीय महिला आयोग का दिल्ली मेट्रो में यह देखने के लिए औचक जांच करने का विचार है कि क्या महिलाओं को मेट्रो में परेशान किया जाता है या नहीं किया जाता है।

अध्यक्षा ममता शर्मा

जून, 2013 के महीने में प्राप्त शिकायतों की स्थिति

महीना	अथ शेष	प्राप्त शिकायतें	ऐसी शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई है	शिकायतों के बंद मामले	शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित
जून 2013	शून्य	2,282	2,282	678	शून्य
आयोग ने जून, 2013 में 28 मामले स्वतः संज्ञान में लिए					

राष्ट्रीय महिला आयोग के महत्वपूर्ण नम्बर : राष्ट्रीय महिला आयोग रिसेप्शन : 011-23237166, 23234918 • शिकायत प्रकोष्ठ : 011-23236153, 23219750, 23213419 • एनआरआई प्रकोष्ठ : 011-23231222

● श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 02 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में जनकपुरी में विजय बैंक की पूर्ण महिला शाखा का उद्घाटन किया। श्री एच.एस. उपेन्द्र कामत, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बड़ी संख्या में महिला ग्राहकों के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे।

● श्रीमती शर्मा ने 25 जुलाई, 2013 को पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, इन्दौर द्वारा आयोजित 'जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर जस्टिस' पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती शर्मा ने महिला पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस कानून और सुरक्षा का अभिरक्षक होती है, उन्हें सामाजिक समस्याओं के

श्रीमती ममता शर्मा कार्यशाला को संबोधित करती हुई

प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, केवल कठोर कानून ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोक नहीं सकते हैं जब तक उनको ईमानदारी से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि महिलाओं पर एसिड से हमले करने वालों को आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। उन्होंने आईएमएस के निदेशक द्वारा 3 लड़कियों को स्लीवलेस टी-शर्ट्स पहनने के लिए दंड दिए जाने की भी भर्त्सना की क्योंकि स्वतंत्र देश में कोई भी लड़कियों को एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनने के लिए नहीं कह सकता है।

श्रीमती शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश, ओड़िसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ देश में अपराध दर में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय लागू करने हेतु सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या चारू वलीखन्ना ने विशेष अतिथि के रूप में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की।

● अध्यक्षा 9 जुलाई, 2013 को ओड़िसा में दो दिन के दौरे पर गई। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर रिपोर्टरों से बोलते हुए श्रीमती शर्मा ने कहा कि उनका राज्य का दूसरा दौरा महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग पहली बार प्रसिद्ध पुरी-जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक स्टॉल खोलेगा। यह स्टॉल महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेगा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रदर्शित करेगा। मेले में आने वाली लाखों महिला दर्शकों में जागरूकता फैलाने के लिए स्टॉल में उड़िया भाषा में मुद्रित ब्रोशर, पोस्टर और पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी। बाद में वह पुरी के लिए चली गई जहां उन्होंने ओवाईएसएस द्वारा राष्ट्रीय महिला अभियान के लिए सम्मान के भाग के रूप में दिल्ली गैंग रेप की पीड़िता को देश भर की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित 'निर्भया समारोह' के पुरी संस्करण का उद्घाटन करना था। समारोह का उद्घाटन करते हुए श्रीमती शर्मा ने कहा कि सिविल सोसाइटी के भाग लिए बिना महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रुक नहीं सकती है। इसलिए निर्भया समारोह जैसे नवीन साधनों के द्वारा जनता में जागरूकता फैलाकर और उन्हें प्रेरित करके ही महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध देश में संघर्ष किया जा सकता है।

अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग के स्टॉल का उद्घाटन करती हुई

● दिल्ली रवाना होने से पूर्व उन्होंने भुवनेश्वर में प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित किया और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे अनेक कार्यों के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि वह राज्य के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में गई, जन-जातीय और दलित महिलाओं से मिली और उनकी शोचनीय जीवन दशा देखकर विस्मित रह गई। राज्य सरकार उन्हें मूल सुविधाएं देने में भी विफल रही हैं, राज्य सरकार द्वारा 2 रुपए में चावल देने का अभियान चलाने के बावजूद अनेक 'आम की गुठली' खाकर जिंदा हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उदासीन रवैया अपनाने और आयोग द्वारा पिछले कुछ महीनों में जांचे गए गंभीर मामलों में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या शमीना शफीक जयपुर में 'अल्पसंख्यक समुदायों के समक्ष चुनौतियां' पर चौथे अखिल भारतीय सेमीनार में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने लोगों को अल्पसंख्यकों के समक्ष आई चुनौतियों से निबटने के लिए राष्ट्र और उसके समुदाय का विकास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ● सदस्या ग्रामीण महिला विकास द्वारा हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थीं जहां उन्होंने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित किया। ● सदस्या ने इस अवधि में अपने चैम्बर में 5 सुनवाई की।

श्रीमती शमीना शफीक 'अल्पसंख्यक समुदायों के समक्ष चुनौतियां' पर भाषण करती हुई

❖ सदस्या एडवोकेट निर्मला सामन्त प्रभावलकर इन्दौर में 'शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल' के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हुई। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और माँ-बाप और अध्यापकों को विद्यार्थियों को पुरुषों और महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा रोजगार के अवसर पैदा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए अपितु उसका उपयोग न्याय, अहिंसा और महिलाओं के विकास का संवर्द्धन करने के लिए होना चाहिए।

सदस्या प्रभावलकर पुरस्कार वितरण समारोह में भाषण करती हुई

❖ डॉ. चारू वलीखन्ना गिल्ड ऑफ सर्विसेज़, वार विडोज़ एसोसिएशन और भारत और भूटान के लिए संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'इंटरनेशनल डे ऑफ विडोज़' में सम्माननीय अतिथि थी। ● सदस्या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'महिला सफाई कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता और उनका उत्थान' पर कार्यशाला में वक्ता थी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कुमारी शैलजा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने किया और श्री राहुल गांधी, संसद सदस्य इसमें उपस्थित हुए। उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि सरकार हाथ से सफाई की 'अमानवीय' प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. वलीखन्ना ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और उनके रोजगार को विनियमित करने के लिए कोई पृथक कानून नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके काम को गरिमा देने के लिए 'सफाई कर्मचारी वर्कर्स' का नाम बदलकर 'सैनिटेशन वर्कर्स' कर दिया जाना चाहिए। ● डॉ. वलीखन्ना सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई द्वारा आयोजित 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम' कार्यशाला में मुख्य अतिथि थीं। ● सदस्या बेंगलुरू में नेशनल एलाएंस ऑफ वुमैन द्वारा आयोजित मानवीय अधिकारों पर पब्लिक मीटिंग के समापन समारोह में मुख्य अतिथि थी। उन्होंने कर्णाटक के राज्यपाल डॉ. हंस राज भारद्वाज से शिष्टाचार मुलाकात की और महिला मुद्दों पर चर्चा की। ● डॉ. वलीखन्ना कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम' पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी और नेशनल एलाएंस ऑफ वुमैन द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित 'महिलाओं का मानवीय अधिकार - क्षमता और योग्यता का सशक्तिकरण' पर कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी।

डॉ. चारू वलीखन्ना (बाएं से तीसरे) मानवीय अधिकार की बैठक में

❖ सदस्या हेमलता खेरिया 5 दिन के दौरे पर ओड़िसा गई और क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्कीमों का आकलन करने के लिए खुर्दा जिले के 'बिनझाला' गांव गई। गांव की 500 से अधिक महिलाएं स्थानीय बीडीओ, डीएसडब्ल्यूओ, सीडीपीओ और अन्य अधिकारियों के साथ उपस्थित थी। अधिकारियों को महिलाओं की शिकायतों को दूर करने और 1 महीने के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग को की गई कार्यवाही रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। बाद में वह पुरी पहुंची जहां वह जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लगाए गए राष्ट्रीय महिला आयोग के 10 दिन के स्टॉल के सांध्य प्रोग्राम में उपस्थित हुई। उन्होंने महिलाओं के द्वारा उनके कानूनी और राजनीतिक अधिकारों और महिला संबंधित शिकायतों को दर्ज करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाने की प्रक्रिया के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।

सदस्या हेमलता खेरिया राष्ट्रीय महिला आयोग के स्टॉल में भाषण करती हुई

शिकायत प्रकोष्ठ से

आयोग को किन्हीं मिस्टर एक्स से अपनी पुत्री की ओर से उसके पति और सास-ससुर द्वारा दहेज मांगे जाने की शिकायत प्राप्त हुई। मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोग में सुनवाई हुई, जहां शिकायतकर्ता ने आयोग से प्रतिवादी से दहेज की वस्तुएं और स्त्रीधन वापस दिलाने का अनुरोध किया क्योंकि लड़की अपना विवाह आगे बनाए रखना नहीं चाहती है। आयोग के हस्तक्षेप से दो सुनवाई हुई, दोनों पार्टियों ने यह निर्णय किया कि वे आपसी रजामंदी से तलाक के लिए अर्जी दायर करेंगे और दहेज की सारी वस्तुएं जैसे फर्नीचर आदि हरदोई में शिकायतकर्ता के घर वापस भेज दी जाएंगी। आयोग की सदस्या शमीना शफीक की उपस्थिति में शिकायतकर्ता को 'स्त्रीधन' और 49,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट और 1000 रुपए नकद दिया गया।

लड़की का पिता (दाहिने) ड्राफ्ट, नकदी और ज्वैलरी लेते हुए

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

- सदस्या शमीना शफीक ने एडवोकेट आनन्द नारायण सिन्हा के साथ मिलकर 'पड़ोसी द्वारा पीछा किया जाना, उत्तर प्रदेश की लड़की ने क्लास रूम में फांसी लगा ली', शीर्षक से समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार, जिसमें अन्य विद्यार्थियों को एक 12वीं क्लास की छात्रा क्लास रूम में पंखे से लटकी मिली थी, की जांच की। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- सदस्या शमीना शफीक ने सुश्री आरती दीक्षित के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक अस्पताल से एक नवजात शिशु के अपहरण की कथित घटना के बारे में जांच की। इस संबंध में सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
- श्रीमती शमीना शफीक ने जांच समिति की अध्यक्षा के तौर पर सुश्री योगिता भायन के साथ मिलकर एक शिकायत की जांच की जिसमें छः व्यक्तियों ने कथित रूप से बिहार के सीतामढ़ी में एक महिला के साथ बलात्कार किया। सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- सदस्या हेमलता खेरिया ने जांच समिति की अध्यक्षा के तौर पर सुश्री मानसी प्रधान के साथ मिलकर पुरी-कोणार्क के मरीन ड्राइव पर एक 14 वर्ष की अंधी लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले की जांच की। वह पुरी में बेलाडल गांव गई और उस लड़की के मां-बाप और अन्य गवाहों के विवरण रिकॉर्ड किए। वह उस घटना वाले स्थान पर गई और संबंधित अधिकारियों के साक्ष्यों को सुना और पुलिस जांच की प्रगति का पुनरीक्षण किया। जांच समिति ने पुरी समुद्री तट के समूचे भाग, पुरी रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशनों का भी दौरा किया जिससे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से निपटने के लिए किए गए प्रबंध का आकलन किया जा सके।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।